

अग्रवाल-खण्डेलवाल ट्रस्ट व बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी के बीच विवाद गहराया

पुलिस ने मंदिर परिसर के बाहर मौजूद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया



बद्रीनाथजी मंदिर के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात रहा।

पहले पुरानी अनाज मण्डी स्थित सीताराम जी के मंदिर पर दोनो समाजों की आमसभा का आयोजन किया गया। जिसमें प्रशासन के द्वारा पुजारी को संरक्षण देने एवं अग्रवाल खण्डेलवाल ट्रस्ट अध्यक्ष की ओर से मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं करने पर आक्रोश फैल गया। समाज के जेड वन प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई से आक्रोशित हो गया और सभी ने एकरायो हो कर बाजार में रैली निकाल कर बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे जहां पर पहले से ही सुरक्षा के लिए लगे पुलिसकर्मियों ने सभी को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जिस पर

धक्का मुक्की हो गई। वहीं पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग कर दिया।

पुजारी पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप :-चारदिन पहले ही ट्रस्ट पदाधिकारियों ने पुजारी रामेश्वर शर्मा पर गाली-गलौज और मारपीट के आरोप लगाए थे। समाज का कहना है कि इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

प्रशासन की सख्त निगरानी :-स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त जिला अधिकारी रामकिशोर

■ **हालात बिगड़ते देख शहर का मुख्य बाजार बंद हो गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की**

मीणा, उपखण्ड अधिकारी बृजेंद्र मीणा, एसएसपी राकेश राजोरा, डीएसपी सीताराम, कोतवाली, सदर व अन्य थानों के अधिकारी और सैकड़ों पुलिसकर्मों मौके पर पहुंचे। एडीएम की मौजूदगी में ट्रस्ट और समाज के पदाधिकारियों के बीच बातचीत का दौर शुरू किया गया। धरने में जिलाध्यक्ष गोविन्द बरनाला, नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल, पूर्व उपसभापति दीपक सिंघल, अग्रवाल-खण्डेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट अध्यक्ष सहित समाज के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। समाज की ओर से मांग की गई कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे और न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए। अग्रवाल-खंडेलवाल ट्रस्ट का दावा है कि बद्रीनाथ मंदिर समाज की संपत्ति है, जबकि पुजारी रामेश्वर शर्मा इसे सर्वसमाज का मंदिर बताते हैं। सभी परिवार कई पीढ़ियों से यहां पूजा-अर्चना और देखरेख करता

आया है। पहले यह परिवार वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, लेकिन ट्रस्ट ने जब कर्मचारियों को बदलने का निर्णय लिया तो पुजारी परिवार ने मंदिर खाली करने से इनकार कर दिया। ट्रस्ट अध्यक्ष रवीन्द्र खण्डेलवाल ने बताया कि न्यायालय से ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुना दिया, इसके बावजूद प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की।

पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज करने के विरुद्ध एवं अपराधियों को संरक्षण देने के विरोध में गंगापुर सिटी सहित सवाई माधोपुर जिले एवं तहसील स्तर पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान दुकान बंद रखने का निर्णय लिया है। अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट धर्मशाला के सामने चल रहे धरने पर निर्णय के अनुसार अग्रवाल समाज संघ जिला अध्यक्ष गोविंद प्रसाद बरनाला ने बताया कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर एवं सरकारी कर्मचारी एक दिन का अवकाश लेकर सभी समाज के बंधु धरना स्थल पहुंचें। प्रेदेश प्रवक्ता ने कहा कि ट्रस्ट की धर्मशाला एवं मंदिर से असमाजिक तत्वों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया एवं लाठीचार्ज करने वाले पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे राजस्थान बन्द का आव्हान किया जायेगा।

नकबजन गैंग का पर्दाफाश, दो जने गिरफ्तार

रात्रि के समय मंदिरों व सूने मकानों में चोरी करते थे

बांसवाड़ा, (निर्सं)। सदर थाना पुलिस ने रात्रि के समय मंदिरों व सूने मकानों में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दर्जनों घटनाओं के खुलासे का दावा किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में हो रही चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करने के लिये एसपी डॉ. राजेश भारद्वाज के सुपरविजन व पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के निकट पर्यवेक्षण में सदर थानाधिकारी बुद्धाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। इस टीम ने गहन अनुसंधान, तकनीकी विश्लेषण, मुखबीर तंत्र एवं आसूचनाएं संकलित करते हुए जिले में अलग-अलग जगहों पर मंदिरों व सूने मकानों में रात्रि के समय नकबजनी व चोरी की घटना के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज प्राप्त किये। पुलिस टीम ने मुखबिरो से लगातार संपर्क में रहते हुए सूचनाएं प्राप्त की वहीं पूर्व में चालानशुदा अपराधियों पर सतत



पुलिस ने नकबजनी गैंग के आरोपी को गिरफ्तार किया।

निगरानी रखते हुए उनके मोबाईल नंबरों की सीडीआर प्राप्त कर जांच की। पूर्व में नगबजनी, चोरी व अन्य प्रकरणों में शामिल सतिंद्र रमेश पुत्र रमीया पुत्र भाणजी निनामा निवासी खेरडाबरा को डिटेन कर पछताछ की तो उसने सुनील व उसके साथियों के साथ मिलकर 9

वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस टीम में थानाधिकारी बुद्धाराम विश्‍नोई, सहायक उपनिरीक्षक रमेशचन्द्र, हेड कांस्टेबल केशवचन्द्र, पुलिस लाईन के हेड कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह, सदर थाना के कांस्टेबल मुकेश, राहुल व विजय शामिल रहे।

नवरात्र घट स्थापना की तैयारियां जोरों पर

जयपुर। राजा पार्क स्थित वैष्णो देवी मंदिर पंचवटी सर्किल में इस बार नवरात्रा पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 सितंबर को नवरात्रा घट स्थापना के साथ ही नौ दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

जानकारी के अनुसार मंदिर में नवरात्रे से पहले मंदिर में रंग-रोगन का कार्य चल रहा है और माता की मूर्ति का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। वहीं घट स्थापना के साथ ही मंदिर के दर्शन खुलेंगे। जिसका समय सुबह छह बजे से दोहर 12 तक और शाम पांच बजे रात दस बजे खुले रहेंगे।

मंदिर कमेट्री उपाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि पूरे मंदिर परिसर को रंगीन लाइटों, चुनरी और रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। माता का अनूठा श्रृंगार किया जाएगा। नौ दिनों तक माता को सात से नौ बार नए पोशाक धारण कराए जायेंगे।

मंदिर कमेट्री कोषाध्यक्ष इन्द्रजीत शर्मा ने बताया कि पूरे नवरात्र के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम चार से पाँच हजार दोनै प्रसादी भक्तों को वितरित की जाएगी। इसमें माता का भोग हलवा,चना और पूड़ी रहेगा।

मंदिर कमेट्री अध्यक्ष राज भाटिया

और सचिव राजकुमार भाटिया ने बताया कि यह मंदिर वर्ष 2004 में स्थापित हुआ था। तब से ही यहां माता को साल के 365 दिन सुबह-शाम देशी धी के हलवे और चने का भोग लगाया जाता है और भक्तों में बाँटा जाता है।

इसके अलावा नवरात्रा के अतिरिक्त भी हर दिन माता को दिन में तीन बार नई पोशाक (साड़ी) धारण करवाई जाती है। बाद में ये साड़ियाँ गरीब बच्चियों की शादी में दान की जाती हैं और कुछ आश्रमों व जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाई जाती हैं।

अलापुर में जाति बदलकर फर्जीवाड़े से जमीन खरीदने के मामले की सच्चाई सामने आई

अलवर, (निर्सं)। आलापुर गांव में जाति बदलकर जमीन खरीदने का मामले की सच्चाई पटवारी की रिपोर्ट के साथ ही सामने आ गई है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट अलवर एसडीएम को भेज दी है, जिसमें उसने दावा किया है कि भूमि खरीददार जीत सिंह एससी का ना होकर ओबीसी का है। जगता बसई के पटवारी प्रेमपाल सिंह राठौड़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पीपली का बास मे निवासी जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह के नाम कई जमीन है, जिनके रिकार्डों के मुताबिक जीत सिंह राय सिख है ना कि मजबी सिख इसकी गवाही दर्जनों ग्रामीणों ने पटवारी की रिपोर्ट पर दी है। पीडित पक्ष को यह न्याय मीडिया की लगातार खोजपूर्ण खबरों के बाद ही मिल पना संभव हुआ है। अब एक कड़ी में एक और खरीदारी की जाति रिपोर्ट गोविंदराव के पटवारी की आना बाकी है जैसे ही दूसरी रिपोर्ट आएगी जिला प्रशासन हरकत में आ जाएगा।

मामले के अनुसार अलवर तहसील

- **पटवारी की रिपोर्ट ने खोली फर्जीवाड़े की कलाई, तहसीलदार व पटवारी पर गाज गिर सकती है**
- **पटवारी ने अपनी रिपोर्ट अलवर एसडीएम को भेज दी है, जिसमें उसने दावा किया है कि भूमि खरीददार जीत सिंह एससी का ना होकर ओबीसी का है**

अंतर्गत पडने वाली माचडी पंचायत के गांव अलापुर में जाति बदलकर एससी के गुजरमल पुत्र मवासी की भूमि को ओबीसी के बंजार सिंह और रणजीत सिंह राय सिख ने मजबी सिख बनकर अपने नाम करवा ली थी। मामले को मीडिया ने जोर-शोर से उठाया। बाद में अलापुर निवासी भूमि धारक का पोता ने एक शिकायती पत्र अलवर एसडीएम के सम्मुख पेश कर उन्हें भी इस मामले से अलगत कराते हुए खरीददार जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह राय सिख निवासी पीपली का बास तहसील किशनगढ़ बास और रणजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह राय सिख

निवासी तहसील लक्ष्मणगढ़ सहित नए खरीदार जाति बदलने वाले तहसीलदार और पटवारी को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए भूमि को वापिस उसी के नाम करवाने की मांग की थी।

व्या लिखा है शिकायती पत्र में :-अलापुर निवासी गुर्जर मल के पोत्र दिनेश कुमार पुत्र किशोरी लाल ने इस संदर्भ में एक शिकायती पत्र अलवर एसडीएम को उनके कार्यालय पहुंच कर सौंपा है, जिसमें उसने बताया है हाल खसरा नम्बर 22 एवं 24 को जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह जाति राय सिख ने प्रथम

बार जमीन मालिक गुजरमल पुत्र मवासी जाति जाटव खातेदार से मजबी सिख बनकर एससी की जमीन की खरीद की थी, जिसका नामांतरण संख्या 536 एवं 537 निर्णय 31 मई 1990 को स्वीकृत कर जमाबंदी 2045-48 में नामांतरण का नोट अंकन कर दिया गया। नामांतरण में भी जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह की जाति मजबबी सिख दर्ज की गई, जिसने राजस्थान टीनेक्स एक्ट 1955 की धारा 42 का उल्लंघन किया गया है, जिसके बाद से लगातार 2069-2072 खाता संख्या 106 में जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह निवासी पीपली का बास तहसील किशनगढ़ बास अलवर की जाति रिकार्ड में मजबी सिख दर्ज की गई। उस समय तत्कालीन पटवारी नंदकिशोर परेवा हाल आफिस कानूनगो मालाखेड़ा द्वारा जमाबंदी 2069-72 के खाता संख्या 106 को आधार मानते हुए शुद्धि पत्र संख्या 2 दिनांक 14 जून 2018 को अलापुर से रणजीत पुत्र नत्था सिंह

जाति राय सिख से मजबी सिख कर दी गई, परन्तु जानबूझकर उसी खाते में दर्ज जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह की जाति रायसिख से मजबी सिख करना छोड़ दी गई, जिस कारण जीत सिंह ने पुनः उक्त खसरों का बेचान रेशम कौर पत्नी तारा सिंह जाति राय सिख वगेराह को कर दिया। अगर उसी समय तत्कालीन पटवारी नंद किशोर परेवा शुद्धि पत्र 2 भरते समय हेराफेरी नहीं की होती तो टिनेक्सी एक्ट की धारा 42 की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को की होती तो उक्त खसरों का बेचान रुक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

शिकायतकर्ता ने एसडीएम अलवर से मांग की है कि इस भूमि की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा किया गया है एवं फर्जीवाड़े में शामिल तत्कालीन पटवारी सहित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए एवं उक्त जमीन को वापिस गुजर मल के नाम दर्ज करवाई जाए।

अज्ञात कारणों से घर में आग लगी, लाखों का नुकसान

घरेलू सामान सहित नकदी व आभूषण भी जले

पावटा, (निर्सं)। कस्बा पावटा ढाणी माच्छावाली नवोदय विद्यालय के पीछे स्थित एक घर में बुधवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से हड़कम्प मच गया। इस घटना में घर गृहस्थी का सामान सहित नकदी व आभूषण जिनकी कीमत करीब तीन लाख रुपए है, जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि परिवार के बच्चे स्कूल और सदस्य बाहर होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई।

यह मामला प्रागपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा पावटा स्थित ढाणी माच्छावाली नवोदय विद्यालय के पीछे मुकेश पुत्र मालीराम के घर का है जहां अचानक आग की लपटें उठने लगीं। खेतों में काम कर रहे परिजनों और पड़ोसियों ने धुआं देखकर तुरंत पानी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया। वहीं पावटा प्रागपुरा नगरपालिका फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। जब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से घर में घरेलू सामान, हाल में फसल बेच कर आए 55 हजार रुपए नकद, करीब एक लाख के आभूषण, कुलर, फ्रिज, पंखे सहित अन्य सामान पूरी तरह जल गया। पीड़ित परिवार को करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पीड़ित मुकेश ने बताया कि जब तक आसपास के लोग निजी नलकूप चलाकर व फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाते, तब तक सब कुछ जल चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार मजदूरी और खेती करके जीवन यापन कर करता है इस आगजनी से परिवार को आर्थिक रूप बड़ा



आग से घर का सामान जलकर राख हो गया।

नुकसान हुआ है जिससे प्रशासन ने गृहार लगाई कि परिवार को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाए। वहीं हल्का गगरपालिका फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। जब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से घर में घरेलू सामान, हाल में फसल बेच कर आए 55 हजार रुपए नकद, करीब एक लाख के आभूषण, कुलर, फ्रिज, पंखे सहित अन्य सामान पूरी तरह जल गया। पीड़ित परिवार को करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पीड़ित मुकेश ने बताया कि जब तक आसपास के लोग निजी नलकूप चलाकर व फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाते, तब तक सब कुछ जल चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार मजदूरी और खेती करके जीवन यापन कर करता है इस आगजनी से परिवार को आर्थिक रूप बड़ा

बताया कि प्रकरण में तत्कालीन थानाधिकारी रतनगढ़ छुग्रासिंह ने 15 जुलाई 2015 को 50 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट साबुत व 500 ग्राम अफीम को अपने क़ब्जे में रखने व परिवहन करने के अपराध में गिरफ्तार किया था। न्यायालय में गवाहों के बयानों में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त गण जितेन्द्र पुत्र राजेंद्र निवासी भूधनकला हरियाणा व सोनू उर्फ़ सजी पुत्र सुभाष निवासी झालनिया फतेहाबाद को दोषी मानकर बुधवार को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख का अर्थदंड से दंडित किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक डॉ. जयाकांत बिंवाल ने की।

दो जनों को सात वर्ष का कठोर कारावास

रतनगढ़, (निर्सं)। थाना रतनगढ़ के 10 वर्ष पुराने प्रकरण 172/245 सरकार बनाम सोनू उर्फ़ सजी मामले में अपर जिला सेसन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की कठोर कारावास एक-एक लाख रुपया के जुर्माने का अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक डॉ। जयाकांत बिंवाल ने

गर्ल्स हॉस्टल के मालिक पर धमकाने का आरोप

कोटा, (निर्सं)। बोरखेड़ा थाना इलाके के कोरल पार्क में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक गर्ल्स हॉस्टल का मालिक बंदूक लेकर बाँयज हॉस्टल में धमकाने के लिये पहुंचा। जानकारी के अनुसार कोरल पार्क में स्थित बाँयज हॉस्टल के छात्रों ने बालकनी में खड़े होकर केले खाये थे, जिसके छिलके पास में स्थित गर्ल्स हॉस्टल की बालकनी में फेंक दिये। जिसके बाद हॉस्टल में रह रही छात्राओं ने इसकी शिकायत हॉस्टल के मालिक से की। बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। मामला सोमवार रात का बताया जा रहा है।

बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि बोरखेड़ा इलाके के कोरल पार्क में बाँयज हॉस्टल के पास में गर्ल्स हॉस्टल है। थानाधिकारी ने बताया कि बाँयज हॉस्टल वार्डन

महेन्द्र गोचर ने थाने में शिकायत दी थी, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल के मालिक विवेक गर्ग पर आरोप लगाया कि उसने हॉस्टल में घुसकर गन से डराया धमकाया है। इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की गई।

थानाधिकारी ने बताया कि प्रथमदृष्टा से जांच में सामने आया कि छात्रों ने गर्ल्स हॉस्टल की बालकनी में केले के छिलके फेंके थे जिसके बाद पूरा विवाद खड़ा हो गया। विवेक गर्ग के पास लाईसेंस रीवाल्वर है और वह हमेशा साथ में रखता है। छात्राओं ने सामने वाले हॉस्टल के छात्रों की शिकायत हॉस्टल के मालिक से की थी। इस पर गर्ल्स हॉस्टल संचालक विवेक गर्ग जो बाहर रहते है फिलहाल कोटा आये हुए थे, हॉस्टल को उनकी पत्नी संभालती है। हॉस्टल मालिक विवेक गर्ग छात्रों को समझाने गया था। मामले की जांच की जा रही है।

किशनगढ़ बास के सरकारी विद्यालयों का न्यायाधीश ने किया निरीक्षण

किशनगढ़ बास, (निर्सं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) जयपुर के निर्देशानुसार न्यायाधीश रनवीर सिंह ने बुधवार को किशनगढ़ बास उपखण्ड क्षेत्र के करीब एक दर्जन सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर स्कूल भवनों की हालत व छात्रों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आशीष यादव व किशनगढ़ बास पुलिस थाना सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार मौजूद रहे। निरीक्षण की सूचना से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में हड़कैप मच गया। आनन-फानन में शिक्षकों ने बच्चों को जर्जर कमरों से

- **स्कूल भवनों की हालत व छात्रों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था का अवलोकन किया**
- **निरीक्षण के दौरान अधिकतर विद्यालयों के भवनों की स्थिति जर्जर एवं दयनीय पायी गयी**

हटाकर दूसरे कमरों में बैठा दिया और विद्यालयों के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। शिक्षकों के द्वारा अन्य स्कूलों में फोन के माध्यम से सूचना दिए जाने की बात सामने आई तो न्यायाधीश नाराजगी जताई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल के लिपिक हेमराज परेवा ने बताया कि निरीक्षण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप स्कूलों के जर्जर भवनों और छात्रों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था की जांच के उद्देश्य को लेकर न्यायाधीश रनवीर सिंह ने टीम के साथ क्षेत्र के गांव थानाघोड़ा, पड़साला, मिर्जापुर, रावरा, लालपुरी, घासीली, एडिंगर, सच्चराम व जप्तपू की ढाणी सहित 13 सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकतर



सरकारी विद्यालयों के भवनों की जर्जर हालत को निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश व टीम ने कैमरे में लिया।

विद्यालयों के भवनों की स्थिति जर्जर एवं दयनीय पायी गयी। भवनों की दीवारों में सीलन व दरार पायी गयी साथ ही छत का प्लास्टर उखड़ा हुआ मिला जिनमें बच्चों को पढ़ाया जाना सुरक्षा की दृष्टि से न्यायसंगत नहीं बताया गया, जो जर्जर और असुरक्षित भवन सबसे बड़ी चिंता का विषय थे। लगभग सभी विद्यालयों के शौचालयों में गंदगी पायी गयी इसके साथ ही बालिकाओं के लिए बने शौचालयों की स्थिति और भी अति दयनीय मिली जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। निरीक्षण में न्यायाधीश ने पाया कि विद्यालयों के जर्जर भवनों में ही विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है इसके लिए अलग से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कराई गई है जो किसी गम्भीर दुर्घटना के घटित होने का संकेत दे रही है।

कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण

बीकानेर, (निर्सं)। शिक्षा सचिव तथा जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने बुधवार को श्रीदुर्गारगढ़ के जैतासर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहरलाल तथा जिला शिक्षा निदेशक मास्थमिक (मुख्यालय) किशन दान चारण, एडीपीसी कृष्ण कुमार बिशोई, सहायक निदेशक विक्रम सिंह चौहान सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें तथा सुनिश्चित करें कि बालिकाओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि बेटियां खूब मन लगाकर पढ़ें और अपने परिवार और शहर का नाम रोशन करें। प्रभारी सचिव ने नवनिर्मित बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इसकी गुणवत्ता पर संतोष जताया। स्कूल परिसर में उन्होंने पौधारोपण किया तथा पौधरोपण की जानकारी ली।